कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्राएं/नियुक्ति प्रको./नि–2/982/शि.भ–2018/लेवल–II /2018 –19 दिनांकः 13.09.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर/हनुमानगढ़/टोंक/
श्रीगंगानगर/नागौर/करौली/भीलवाड़ा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा संबंधित।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–द्वितीय में एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवायी जाने के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.09.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख हैं कि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल–द्वितीय अंग्रेजी विषय के
संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर सिविल याचिका सं. 13754/2018 कंवर राज दान चारण
व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा एक अन्य याचिका सं.13780/2018 विक्रम सिंह व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 12.09.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रारम्भिक शिक्षा
विभाग द्वारा उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत बी.ए. एडिशन अंग्रेजी योग्यताधारी चयनित याचिकार्थियों को
काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने, किन्तु माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्ति आदेश जारी
नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त भर्ती अन्तर्गत चयनित याचिकार्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पदस्थापन काउंसलिंग हेतु
निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश
दिनांक 12.09.2018 की पालना में शिक्षक भर्ती–2018 लेवल–द्वितीय अंग्रेजी विषय के पद पर चयनित बी.ए.
एडिशनल योग्यताधारी याचिकार्थियों को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल
किया जावे व माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये
जावे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि, जोधपुर/जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग
राजस्थान बीकानेर